

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 26, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

क्र. 19223-मप्रविस-16-विधान-2024.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) विधेयक, २०२४

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०२४ है.

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,२४,६०,१८,०६,६२१ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये बाईस हजार चार सौ साठ करोड़ अठारह लाख छः हजार छः सौ इक्कीस होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	७००
				७००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	३,८३,००,०००	०
		पूंजी	५७,४३,०००	०
				३,८३,००,०००
००३.	गृह	राजस्व	१०,८०,००,६००	०
		पूंजी	७५,००,०००	०
				१०,८०,००,६००
००५.	जेल	राजस्व	११,६४,३८२	०
		पूंजी	१५,००,००,०००	०
				११,६४,३८२
००६.	वित्त	पूंजी	१,५०,००,००,०००	०
				१,५०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	२५,३१,२४,०००	०	२५,३१,२४,०००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व	७२,८२,०२,४००	१०,००,०००	७२,६२,०२,४००
००९.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	१५,००,०००	०	१५,००,०००
०१०.	वन	राजस्व	०	४०,००,०००	४०,००,०००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	८७,६३,६३,११,६८०	०	८७,६३,६३,११,६८०
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	२००	०	२००
०१५.	मुमन्तु और अर्धमुमन्तु जनजाति विभाग	राजस्व	६८,४१,७०६	०	६८,४१,७०६
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	६००	०	६००
०१७.	सहकारिता	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०१८.	श्रम	राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२,६०,००,००,०००	०	२,६०,००,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	५४,००,००,०००	०	५४,००,००,०००
		पूंजी	३५,१५,००,००,०००	०	३५,१५,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	६०,००,०२,१००	२,२६,३५,००,०००	२,८६,३५,०२,१००
		पूंजी	५,७०,००,००,४००	०	५,७०,००,००,४००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०२३.	जल संसाधन	राजस्व ७८,००,००,००० पूँजी १५,१५,१३,७६,२००	०	७८,००,००,००० १५,१५,१३,७६,२००
०२४	लोक निर्माण कार्य	राजस्व ६१,००,००,००० पूँजी १०,५०,००,००,०००	०	६१,००,००,००० १०,५०,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा	राजस्व ५०० पूँजी २००	०	५०० २००
०२६	विधि और विधायी कार्य	राजस्व ५,२६,२५,००० पूँजी १०,००,००,०००	५,४०,००,०००	१०,६६,२५,००० १०,००,००,०००
०३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व १०,६१,००,००,००० पूँजी १,००,००,००,२००	०	१०,६१,००,००,००० १,००,००,००,२००
०३३.	जनजातीय कार्य	राजस्व २,४१,३०,०२,८५० पूँजी १००	०	२,४१,३०,०२,८५० १००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व ४,५०,००,००,०००	०	४,५०,००,००,०००
०३६.	परिवहन	राजस्व २०० पूँजी २१,००,००,०००	०	२०० २१,००,००,०००
०३७.	पर्यटन	पूँजी १,३१,५३,८०,०००	०	१,३१,५३,८०,०००
०३८.	आयुष	राजस्व ५४,३१,६६,१०० पूँजी २०,००,०००	०	५४,३१,६६,१०० २०,००,०००
०३६.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व १०,००,००,००० पूँजी २००	०	१०,००,००,००० २००
०४०.	पंचायत	राजस्व ८५,००,००,०००	०	८५,००,००,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	राजस्व ५४,००,००० पूँजी ८६,२६,००,०००	०	५४,००,००० ८६,२६,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	३४,५६,००,०००	०
	पूंजी	१,१०,४३,००,०००	०
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	१,३०,००,००,०००	०
०४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१,२५,००,००,०००	०
	पूंजी	२०,००,००,००,०००	०
०४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	६०,००,००,०००	०
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,८७,३४,००,०००	०
	पूंजी	१,००,००,०००	०
०५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	५,५०,०१,००,०००	०
	राजस्व	१,२८,६५,०४,०२,६२१	२,३५,२५,००,७००
योग :	पूंजी	६३,२६,८६,०३,३००	०
	वृहद्-योग	२,२२,२४,६३,०५,६२१	२,३५,२५,००,७००
			१,३१,३०,२६,०३,३२१
			६३,२६,८६,०३,३००
			२,२४,६०,१८,०६,६२१

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ दिसम्बर, २०२४

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.